इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर 2011—भाद्र 15, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्र. एफ (ए) 3-2-2011-1-पांच-(64).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है,

(एक) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-1-पांच (96), दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 में,—

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना में,—

(एक) उपाबंध-एक के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''उपाबंध—एक

ऐसा व्यापारी, जो नीचे विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों में से किसी इकाई को स्थापित करता है, प्रवेश कर के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं होगा:—

1. आरा मिल;

2. सभी प्रकार के धातु स्क्रेपों को प्रेसिंग द्वारा ब्लाक अथवा अन्य किसी रूप में परिवर्तित करना;

3. खाद्य तेल रिफाइन करना (स्वतंत्र इकाई);

4. शराब का सम्मिश्रण या विनिर्माण (अंगूर से विनिर्मित शराब एवं वाईन से भिन्न ऐसी शराब एवं वाइन जिसमें अल्कोहल की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक न हो,);

5. चाय का सम्मिश्रण या विनिर्माण;

6. लस्सी, श्रीखण्ड, आईसक्रीम, चीज, घी, मक्खन, मठा, फ्लेवर्ड मिल्क आदि का विनिर्माण (ऐसी औद्योगिक इकाइयों से भिन्न इकाइयां जिनमें संयंत्र और मशीनरी में पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

7. विनियरिंग तथा प्लाईवुड उद्योग;

8. ईट निर्माण (मशीनीकृत इकाइयों व फायर ब्रिक्स के विनिर्माण को छोड़कर);

9. कोक और इष्टिका (कोल ब्रिकेट) का विनिर्माण (ऐसी मशीनीकृत इकाइयों से भिन्न इकाइयां, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो.);

10. प्लाईवुड तथा इमारती लकड़ी के बक्सों का विनिर्माण;

11. लकड़ी के कोयले का विनिर्माण;

12. सभी प्रकार के मसालों का विनिर्माण [पेटीबंद (पेकेज्ड) मसालों को छोड़कर];

13. खनिजों का चूर्ण बनाना;

14. रस्सी का विनिर्माण (ऐसी मशीनीकृत इकाइयों से भिन्न इकाइयां, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में पच्चीस लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

15. सभी प्रकार के फर्श, दीवाल एवं छत पर लगने वाले टाइल्स, जिनमें कवेलू और खपरैल सम्मिलित हैं, का विनिर्माण, (ऐसे मशीनीकृत सिरेमिक एवं स्टोन टाइल्स विनिर्माण उद्योग से भिन्न उद्योग, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

16. स्टोन क्राशिंग (गिट्टी तोड़ना);

17. लाख तथा चपड़ी विनिर्माण;

18. सभी प्रकार की मुद्रण प्रक्रियाएं (रोटोथेवियर/फ्लेक्स प्रिंटिंग को छोड़कर, (जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो और मुद्रण प्रक्रियाएं विनिर्माण प्रक्रिया का भाग हों);

19. बर्फ विनिर्माण;

20. कलर लेबोरेटरीज;

21. सोने और चांदी के बुलियन से आभूषण और अन्य वस्तुओं का विनिर्माण

22. बर्तन विनिर्माण (ऐसी औद्योगिक इकाई को छोड़कर, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में पच्चीस लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

23. लकड़ी की खिड़की, दरवाजे, चौखट एवं फर्नीचर विनिर्माण;

24. स्टोन कटिंग तथा पालिशिंग (ऐसी औद्योगिक इकाई को छोड़कर, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

25. (एक) लोहे एवं इस्पात की गेल्वनाइजिंग जो किसी संयुक्त संयंत्र या प्रक्रिया का अंग न हो और अकेले गेल्वनाइजिंग संयंत्र एवं मशीनरी में, एक करोड़ रुपये से कम का निवेश हो;

(दो) जहां कोई औद्योगिक इकाई संयंत्र एवं मशीनरी में एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के पूंजी निवेश से स्थापित की गई हो वहां निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रियाओं को छोड़कर लोहे व इस्पात का प्रसंस्करण:—

(क) स्टील सेमीस (समस्त क्वालिटियों, आकृतियों और आकारों की सिल्लियां, पट्टियां, ब्लूम और बिलेट), तारों की छड़ें, सिल्लियां, सांचे, तल्ली प्लेटें, चक्रियां, इस्पात को ढालकर और पीटकर बनाई गई वस्तुएं और/या इस्पात के ढांचे (एंगल, शहतीरें, चैनल, टीज, जेड सेक्शन) और इस्पात की शलाकाएं (गोल, वर्गीय, चपटी, अष्ट भुजीय, षट्भुजीय, समतल तथा शिरायुक्त या मरोडयुक्त कुण्डली रूप में साथ ही सीधी लम्बाई वाली) चादरें, चक्र, छीलन तथा स्केल्प, काली तथा जस्तेदार दोनों, उष्ण तथा ठंडी बेल्लित, समतल तथा नालीदार समस्त क्वालिटियों की, सीधी लम्बाई में तथा कुण्डली रूप में बेल्लित और कीलक दशा में, लोहा और इस्पात की छिलन में से, कच्चा लोहा और/या स्टील सेमीस (सिल्लियां, पट्टियां, ब्लूम और बिलेट) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) में यथा विनिर्दिष्ट लोहे और इस्पात की किसी कोटि नुक्स वाले परित्यक्त, कतरे हुए या सिरों को टुकड़ों से विनिर्माण,

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) में यथाविनिर्दिष्ट ठंडी या ऊष्ण बेल्लित चादरें (चाहे वह सीधी लम्बाई में हो या कुण्डली के रूप में) तथा चक्र एवं छिलन के उपयोग से इस्पात की नलिकाएं, पाइप, चादरें, पाईलिंग सेक्शन अथवा अन्य किसी प्रकार के बेल्लित सेक्शन का विनिर्माण,

(ग) इस्पात की छड़ों से इस्पात का तार खींचना.

(तीन) किसी औद्योगिक इकाई से भिन्न किसी औद्योगिक इकाई द्वारा जो संयंत्र और मशीनरी में दस करोड़ रुपये से अनधिक के पूंजी निवेश से स्थापित की गई हो, ऊष्ण बेल्लित चादरों (हाट रोल्ड शीट्स) (चाहे वे सीधी लम्बाई में हो या कुण्डली रूप में) से ठंडी बेल्लित चादरों (कोल्ड रोल्ड शीट्स) (चाहे वे सीधी लम्बाई में हो या कुण्डली रूप में) का विनिर्माण,

26. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (दो-सी) में यथाविनिर्दिष्ट कच्चा (क्रूड) तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद एवं उसके उत्पादों का शोधन;

27. भारत सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं इन उपक्रमों के संयुक्त क्षेत्र की इकाइयां;

28. भारत सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व के औद्योगिक उपक्रम;

29. किसी उद्यमी द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के कालम (2) में निनिर्दिष्ट पात्र औद्योगिक इकाई को छोड़कर);

30. मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विद्यमान किसी इकाई का स्थानांतरण, अंतरण, उद्ध्वंसन या बंद करके स्थापित की गई नई इकाई (ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न इकाई जिसमें विद्यमान इकाई के विरूद्ध कोई कर बकाया न हो तथा नई इकाई के उत्पाद, विद्यमान इकाई के उत्पादों से भिन्न हों);

31. काटन जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग (किसी ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न औद्योगिक इकाई जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रूपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

32. सभी प्रकार के साल्वेंट एक्स्ट्रेक्शन संयंत्र (किसी ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न औद्योगिक इकाई जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो);

33. सभी प्रकार के रंग एवं पेंट का विनिर्माण, जहां संयंत्र एवं मशीनरी में एक करोड़ रुपये से कम का पूंजी निवेश किया गया हो;

34. कूलरों का विनिर्माण

35. सभी प्रकार के पान मसालों एवं गुटकों का विनिर्माण

36. 20 माइक्रान अथवा उससे कम मोटाई की प्लास्टिक थैलियों का विनिर्माण

37. सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स का विनिर्माण (पल्प पर आधारित ड्रिंक्स को छोड़कर)

38. सभी प्रकार के पारम्परिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे आटा चक्की, बेसन चक्की, दाल मिल, चावल मिल, आईल एक्सपेलर, पोहा एवं मुरमुरा उद्योग (ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न इकाई जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो).

39. तम्बाकू उत्पाद एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पादों का विनिर्माण

40. स्लाटर हाऊस एवं मीट पर आधारित उद्योग

41. सभी प्रकार की खनन गतिविधियां

42. ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो विनिर्माण उद्योग की श्रेणी में न आती हों

43. मिठाई एवं नमकीन विनिर्माण (पैकेज्ड मिठाई एवं नमकीन बनाने वाली ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न इकाई जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो).

44. सोया प्रसंस्करण उद्योग (ऐसी औद्योगिक इकाई को छोड़कर जिसका, सोयाबीन तेल (रिफाइन्ड तेल को सम्मिलित करते हुए) तथा तेल सहित खली से भिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन, पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक (विक्रय मूल्य के आधार पर हो);

45. इस्पात के फर्नीचर का विनिर्माण (ऐसी औद्योगिक इकाई से भिन्न इकाई जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में पचास लाख रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो).

46. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग (आई. टी. पार्क में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग से भिन्न उद्योग).

47. ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो राज्य सरकार अथवा इसके किसी उपक्रम की व्यतिक्रमी घोषित की गई हों,

48. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं'';

(2) उपाबंध-दो में, पैरा 1 में, शब्द ''प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, व्यापार तथा विनिधान संवर्धन निगम लिमिटेड'' के स्थान पर, शब्द ''उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश'' स्थापित किए जाएं;

(दो) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-1-पांच (97), दिनांक 13 सितम्बर, 2010 में सारणी में, कॉलम (2) में, शब्द ''अधिसूचना क्रमांक . . . . . . दिनांक . . . . . .'' के स्थान पर शब्द और अंक ''अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-1-पांच (96), दिनांक 13 सितम्बर, 2010'' स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-2-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-2-2011-1-पांच, (64), दिनांक 6 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th September 2011

F-A- 3-2-2011-1-V-(64).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby makes the following amendment.—

(i) in this department's notification No. A-3-25-2010-1-V (96) dated 13th December, 2010,

AMENDMENT

In this said notification, for Annexure-1, the following Annexure shall be substituted, namely;—

"ANNEXURE-1

A dealer who establishes any of the industrial units specified below, shall not be eligible for exemption from payment of entry tax:

1. Saw Mills
2. Pressing of all kinds of metal scrap into blocks or converting in any other form
3. Refining of adible oil (independent unit)
4. Blending or manufacturing of liquor (other than liquor and wine with not more than 15 percent alcohol content, manufactured from grapes).
5. Blending or manufacturing of tea;
6. Manufacture of lassi, shrikhand, icecreme, cheese, ghee, butter, Matha, flavored milk etc. (other than an industrial unit, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees fifty lacs).
7. Veneering and plywood industry
8. Manufacture of bricks (excluding mechanized units and manufacture of fire bricks)
9. Manufacture of coke and coal briquettes (other than mechanized units, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees fifty lacs).
10. Manufacture of boxes of plywood and timber
11. Manufacture of charcoal
12. Manufacture of all types of masala (other than packaged masala)

13. Powdering of minerals.

14. Manufacture of rope (other than mechanized units, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees twenty five lacs.

15. Manufacture of all types of floor, wall and roofing tiles including kavelu and ridges (Khaprel) (other than a mechanized ceramic and stone tiles manufacturing industry, wherein capital investment in plant and machinery is rupees one crore or more).

16. Stone crushing (breaking of gitti).

17. Manufacture of lac and chapri.

18. Printing processes of all types (other than rotogravier/flex printing, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees one crore, and printing process being a part of a manufacturing process).

19. Manufacture of Ice.

20. Colour laboratories.

21. Manufacture of ornaments and other articles of bullion of gold and sliver.

22. Manufacture of utensils (other than an industrial unit, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees twenty five lacs).

23. Manufacture of wooden windows, doors, frames and furniture.

24. Stone cutting and polishing (other than an industrial unit, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees one crore).

25. (i) Galvanizing of iron and steel which is not a part of composite plant or activity and investment in the galvanizing plant and machinery alone is less than rupees one crore.

(ii) Processing of iron and steel excluding the following manufacturing processes where the industrial unit is established with a capital investment of rupees one crore or more on plant and machinery :—

(a) manufacture of steel semis (ingots, slabs, blooms and billets of all qualities, shapes and sizes), wire rods, ingots, moulds, bottom plates, discs, forgings and steel castings and/or steel structurals (angles, joists, channels, tees, Z Section) and steel bars (rounds, squares, flats, octagons and hexagons, plain and ribbed or twisted in coil form as well as straight length), sheets, hoops, strips and skelp, both black and galvanized, hot and cold rolled, plain and corrugated in all qualities, in straight length and in coil forms, rolled and in riveted condition, out of scrap of iron and steel, pig iron, and/or steel semis (ingots, slabs, blooms and billets) and defectives, rejects, cuttings or end pieces of any of the categories of iron and steel as specified in clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956;

(b) manufacture of steel tubes, pipes, sheet piling sections, or any other rolled sections out of cold rolled or hot rolled sheets (whether in straight lenght or in coil form) and hoops and strips as specified in clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956;

(c) drawing of steel wires out of steel rods.

(iii) manufacture of cold rolled sheets (whether in straight length or in coil form) out of hot rolled sheets (whether in straight length or in coil form) by an industrial unit other than the industrial unit which is established with a capital investment of not less than rupees ten crore in plant and machinery.

26. Refining of crude oil as specified in clause (ii-c) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 and other petroleum products and its by-products.

27. Public Sector undertakings of Government of India and Joint sector units of these undertakings.

28. Industrial undertaking wholly owned by Government of India or State Government.

29. A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than and industiral unit which is eligible under serial No. 2 in column (2) of the schedule).

30. A new industrial unit set-up by transferring, shifting or dismantling or closing an existing unit within the state of Madhya Pradesh (other than an industrial unit, wherein there is no arrears of tax against the existing unit and the products of new unit are different from the products of the existing unit).

31. Cotton ginning and pressing industry (other than an industrial unit, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees one crore).

32. All types of solvent extraction plants (other than an industrial unit, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees one crore).

33. Manufacture of all types of colour and paints, wherein capital investment in plant and machinery is less than rupees one crore.

34. Manufacture of coolers.

35. Manufacture of pan masala and gutka of all kinds.

36. Manufacture of plastic bags of 20 micron or less.

37. Manufacture of all types of soft drinks, aerated drinks (other than the drinks based on pulp).

38. Traditional food processing industries of all kinds like Atta mill, Besan mill, Dall mill, Rice mill, Oil expeller, Poha and Murmura industry (other than an industrial unit, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees fifty lacs).

39. Manucature of tobacco products and products based on tobacco.

40. Slaughter house and industry based on meat.

41. All kinds of mining activities.

42. Industrial units which are not in the category of manufacturing industry.

43. Manufacture of sweets and namkeen (other than an industrial unit manufacturing packaged sweets and namkeen, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees fifty lacs).

44. Soya processing industry (excluding industrial unit whose production of there value added products, other than Soyabean oil (including refined oil) and de-oiled cake, is twenty five percent or more (on the basis of sale value) of the total production).

45. Manufacture of steel furniture (other than an industrial unit, wherein capital investment in plant and machinery is more than rupees fifty lacs).

46. Information technology industry on/industries based on information technology (other than information technology/industries based in information technology established in I. T. Park).

47. Industiral units which are declared defaluter of the State Government or any of its undertakings.

48. Such other industries as may be notified by the State Government from time to time".;

(ii) In Annexure-II, in para 11, for the words "Managing Director, Madhya Pradesh Trade and Investment Facilitation Corporation Limited", the words "Industries Commissioner, Madhya Pradesh" shall be substituted.

(ii) In this department's notification No. A-3-25-2010-1-V (97) dated 13th December, 2010, in the table, in column (2), for the words, "Notification No. . . . . dated . . . .", the words, figures and bracket Notification No. A-3-25-2010-1-V (96) dated 13th December, 2010" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011